*वाणिज्य बैंकों के रूप में विकास वित्त संस्थाओं का रूपांतरण : आईडीबीआई का मामला और कर्मचारी संघों की भूमिका**

के. सी. चक्रवर्ती

श्री वासुदेव आचारिया, माननीय सांसद, लोकसभा, कामरेड राजेन नागर, अध्यक्ष, एआईबीईए, श्री बी. पी. कानूनगो, क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री समीर घोष, महासचिव, अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी संघ, आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच के प्रधान पदाधिकारीगण, आईडीबीआई के अधिकारीगण और कर्मचारीगण तथा सेमिनार में आए हुए अन्य प्रतिनिधिगण तथा देवियो और सज्जनो! मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आईडीबीआई की स्वर्ण जयंती की स्मृति में आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने ''देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विकास वित्त संस्था के रूप में आईडीबीआई की भूमिका'' विषय पर एक सेमिनार आयोजित करने की यह पहल की है।

2. मैंने पाया है कि न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में विशेष रूप से सुधारों के बाद की अवधि में विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) की भूमिका के बारे में काफी उलझन और भ्रांत धारणा है। वास्तव में, जनसाधारण में एक भावना है कि सुधारोत्तर अवधि में विनियमनकर्ता और नीति-निर्धारक विकासात्मक एजेंटों के रूप में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं तथा विकासात्मक भूमिका का परित्याग करते हुए उन्होंने अपनी नीतियों को एक बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख कर दिया है, जबकि तथ्य यह है कि भारत में नीति-निर्धारक और विनियमनकर्ता लगातार दृढ़तापूर्वक यह विश्वास करते हैं कि वित्त की भूमिका विकास को प्रोत्साहित करने की है तथा वित्तीय संस्थाओं को अनिवार्यतः इस मूलभूत भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार, विकासात्मक वित्त का उद्देश्य निरंतर वही बना हुआ है तथा केवल संस्थागत संरचना के रूप में बाह्य आवरण को समय-समय पर परिवर्तित होने की आवश्यकता है।

3. इस ऐतिहासिक महानगर कोलकाता में इस महत्वपूर्ण सेमिनार में आए हुए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह महानगर सदैव देश के सभी प्रकार के आंदोलनों का मुख्य केन्द्र रहा है - चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन हो, श्रम आंदोलन हो, ट्रेड यूनियन आंदोलन हो अथवा वित्तीय क्षेत्र या राजनीति से संबंधित कोई भी अन्य आंदोलन हो। मुझे विश्वास है कि इस ऐतिहासिक नगर की वैभवपूर्ण परंपराओं के अनुरूप यह सेमिनार भी वित्त की विकासात्मक भूमिका के महत्वपूर्ण क्षेत्र में उपयुक्त मुद्दे/चुनौतियाँ और कार्रवाई योग्य विचार सामने रखेगा और उसके द्वारा कोलकाता महानगर में यह सेमिनार आयोजित करने के औचित्य को सिद्ध करेगा।

4. मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आईडीबीआई और उसके सभी कर्मचारियों को शानदार अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे करने पर बधाई देता हूँ। स्वर्ण जयंती जैसे अवसर केवल संगठन के लिए जश्न मनाने के लिए कारण नहीं हैं, बल्कि यह उन पदाति सैनिकों के लिए आनंद का समय है जिन्होंने संस्था के निर्माण में अपने जी-जान से योगदान किया है तथा उसे अपने प्रारंभिक चरण में बढ़ते हुए देखा है। इसलिए यूनियन और आईडीबीआई बैंक के वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

5. हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य तौर पर विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) और विशेष रूप से आईडीबीआई ने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में देश की आर्थिक संवृद्धि में असीम योगदान किया है, फिर भी समय के चलते, खास तौर से सुधारों के बाद की अवधि में देश में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में घटित हुए कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण इन्होंने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। मैं समझता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था में विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका तथा संपूर्ण वाणिज्य बैंकों के रूप में अपने संक्रमण के अनुक्रम में पारगमन करने के लिए उन्हं जिस मार्ग के लिए देखना चाहिए, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना उपयुक्त होगा। आज अपने भाषण में मैं संक्षेप में विकास वित्त संस्थाओं को स्थापित करने के लिए संदर्भ का भी विमर्श करूँगा, उनके इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करूँगा

*डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 सितंबर 2013 को कोलकाता में आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच द्वारा आयोजित 'विकास वित्त संस्था के रूप में आईडीबीआई की भूमिका' पर सेमिनार में दिया गया विशेष भाषण।

तथा आधुनिक समय में उनकी प्रासंगिकता पर भी अपने विचार व्यक्त करूँगा।

विकास वित्त संस्थाएँ क्या हैं?

6. विकास वित्त संस्था की परिभाषा ''अर्थव्यवस्था के एक या उससे अधिक क्षेत्रों अथवा उप-क्षेत्रों को मुख्य रूप से विकास वित्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रवर्तित अथवा सहायता-प्राप्त संस्था'' के रूप में दी गई है। यह संस्था अपनी विशिष्टता को परिचालन के वाणिज्यिक मानदंडों, जैसा कि कोई भी निजी वित्तीय संस्था अपनाता है, तथा विकासात्मक दायित्वों के बीच विवेकपूर्ण संतुलन द्वारा सिद्ध करती है। विकास वित्त संस्थाएँ 'संपार्श्विक दृष्टिकोण' के मुकाबले वित्तपोषण की जानेवाली परियोजना की अर्थक्षमता पर बल देते हुए - ''परियोजनागत दृष्टिकोण'' अपनाती हैं। दीर्घकालिक ऋणों, ईक्विटी पूँजी, गारंटियों और हामीदारी कार्यों के अतिरिक्त एक विकास बैंक से सामान्यतः यह भी प्रत्याशित है कि वह सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की प्रबंधकीय और अन्य परिचालनगत पूर्वापेक्षाओं का कोटि-उन्नयन करे (स्कार्फ और शेट्टी, 1972)।

7. इस प्रकार, किसी विकास वित्त संस्था का मूलभूत बल औद्योगिक और बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन वित्त पर तथा अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों अथवा क्षेत्रों के लिए सहायता पर है जहाँ जोखिम उस स्तर से उच्चतर हैं जिसे बैंकों जैसी अन्य पारंपरिक वित्तीय संस्थाएँ मानने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। वास्तव में, पहले के दिनों में बैंक केवल व्यापार और व्यवसाय की अल्पावधि कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करते थे तथा वे सामान्यतः दीर्घावधि के लिए उधार देने से विमुख थे। बैंकों की जोखिम विमुखता प्राथमिक रूप से परियोजना ऋणों की चुकौती से उत्पन्न होती थी जो परियोजना के निष्पादन और लंबी कालावधि पर उससे उत्पन्न होनेवाले नकदी प्रवाहों पर निर्भर थी। परियोजना अनेक कारणों से विफल हो सकती थी जैसे प्रौद्योगीकीगत अप्रचलितता, बाजार प्रतियोगिता, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, प्राकृतिक विपदाएँ, खराब प्रबंधकीय कौशल, खराब बुनियदी संरचना आदि। स्वाभाविक रूप से लंबी उत्पादन-पूर्व अवधि वाली परियोजनाओं के संबंध में जोखिम प्रीमियम काफी उच्चतर था जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए न केवल वित्त की कमी उत्पन्न हुई, बल्कि वित्त की लागत में भी वृद्धि हुई जिससे परियोजना वित्तीय रूप से अव्यवहार्य बन गई। वास्तव में दीर्घावधि वाली परियोजनाओं के लिए वित्त की कमी और उच्च लागत की जुड़वीं समस्याओं से निजात पाने के लिए विकास वित्त संस्थाओं की स्थापना प्रायः केवल सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत की गई। महत्वपूर्ण रूप से इन संस्थाओं से यह भी आशा की गई कि वे दीर्घावधिक उधार में परियोजना मूल्यांकन और जोखिम प्रबंध के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता विकसित करें तथा निजी वित्तीय ऋणदात्री संस्थाओं को संपूरक बनाएँ।

विकास वित्त संस्थाओं की उत्पत्ति

8. जैसा कि मैंने पहले कहा है, विकास वित्त संस्थाओं की स्थापना अधिकांशतः राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यसूची का संवर्धन और समर्थन करने के लिए विशेष वित्तीय संस्थाओं के रूप में की गई। विश्व भर में उन्होंने वास्तव में सामाजिक-आर्थिक विकास में एक उत्प्रेरक भूमिका अदा की है। यूरोप में विकास वित्त का आविर्भाव उन्नीसवीं शताब्दी के बीच में देखा जा सकता है जब प्राथमिक रूप से इन संस्थाओं की स्थापना औद्योगिक क्रांति के दौरान नये और उभरते उद्यमों से मध्यावधि और दीर्घावधि की पूँजी के लिए बढ़ती हुई माँग पूरी करने के लिए की गई थी। फ्रांस में औद्योगिक और बुनियादी संरचना के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 1840 के बाद के दशक के उत्तरवर्ती वर्षों में दीर्घकालिक वित्त संस्थाओं की स्थापना की गई थी। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास वित्त संस्थाओं की स्थापना युद्ध, आदि जैसे बाह्य घटनाओं के कारण भी की गई थी। महाद्वीपीय यूरोप में विकास वित्त संस्थाओं ने वास्तव में युद्ध के कारण विध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

9. उत्तर-औपनिवेशिक युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने विकास हेतु प्रयास में संसाधनों को सरणीकृत करने के लिए उपयुक्त तंत्र को विकसित करने की चुनौती का सामना किया। उनमें से कई अर्थव्यवस्थाओं को पूँजी के अभाव से युक्त आदिकालीन वित्तीय प्रणालियाँ विरासत में मिली थीं। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी माँगों के बीच संसाधनों का आबंटन करने के लिए इस प्रकार की प्रणालियों पर निर्भर होना संभव नहीं था। संस्था-निर्माण करने का कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि इसे बाजार की शक्तियों की अनुकंपा पर छोड़ा नहीं जा सकता था, जो स्वयं विकास की नवजात अवस्था में थीं। साथ ही, बाजार और पारंपरिक वित्तीय संस्थाएँ सामान्यतः दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान करने से विमुख थीं क्योंकि इस प्रकार का उधार

अनिश्चित परिणामों के विशेष लक्षण से युक्त था। ऐसे परिदृश्य का सामना करते हुए यूरोप और पूर्वी एशिया में कई सरकारों ने विशेषरूप से दीर्घकालिक विकासात्मक प्रयासों हेतु वित्तीय संसाधनों की अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए संस्थाएँ स्थापित करने का निर्णय किया।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

10. उस संदर्भ को देखने के बाद जिसमें विकास वित्त संस्थाएँ स्थापित की गई थीं, अब मैं विकास वित्त संस्थाओं के संबंध में कुछ वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अंतरराष्ट्रीय तौर पर विकास वित्तीयन के दो भिन्न मॉडलों का अनुसरण किया गया। स्पेक्ट्रम के एक छोर पर तो आंग्लो-अमेरिकन मॉडल है जो पूरी तरह बाजार आधारित है जिसमें उद्योग और दीर्घावधि परियोजनाओं सहित प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग के लिए संसाधन आबंटित करने में वित्तीय बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरे छोर पर महाद्वीपीय यूरोप और दक्षिण-पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाया गया मॉडल है जिसमें वित्तीय बचत को सरणीकृत किया गया था तथा बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं जैसे वित्तीय मध्यवर्तियों के माध्यम से आबंटित किया गया था। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के द्वारा दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी और जापान के तीव्र गति से पुनर्निर्माण और औद्योगीकरण में विकास वित्त संस्थाओं ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जापान में सरकार के स्वामित्व वाला जापान विकास बैंक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 1951 में स्थापित किया गया था। कोरिया और सिंगापुर में भी तेजी से औद्योगिक विकास के मुख्य उद्देश्य से 1960 के बाद के दशक में विकास वित्त संस्थाएँ स्थापित की गईं। तत्कालीन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास वित्त संस्थाओं का आवर्भाव भी ऐसी अवधि में हुआ जब पूँजी बाजार को दीर्घकालीन निधीयन के स्रोत के रूप में अभी स्थिर होना बाकी था। यूरोपियन मॉडल के आधार पर विदेशी इलाकों में विकास वित्त संस्थाओं की सफलता ने स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास वित्त संस्थाओं के निर्माण के लिए मजबूत प्रेरणा प्रदान की।

11. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जिस प्रारंभिक मिशन के लिए विकास वित्त संस्थाएँ स्थापित की गई थीं, वह 1980 के बाद के दशक तक पूरा हुआ तथा उनमें से अधिकांश को समाप्त किया गया है अथवा उनकी भूमिकाओं को पुनः परिभाषित किया गया है। बची हुई अधिकांश विकास वित्त संस्थाएँ अब वित्तीय बाजार के विशिष्ट (निच) खंडों में परिचालन करती हैं जहाँ प्रवेश के लिए अवरोध अपेक्षाकृत अत्यंत कठिन हैं। भारत ने भी विशेष रूप से सुधारों के बाद की अवधि में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में अनेक संरचनागत परिवर्तनों का साक्षात्कार किया है जिन्होंने उन उद्देश्यों को कमजोर बना दिया जिनके लिए विकास वित्त संस्थाएँ स्थापित की गई थीं। वाणिज्य बैंकों ने, जो पारंपरिक रूप से दीर्घावधि अथवा बुनियादी संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए उधार देने से दूर रहे, क्रमिक रूप से अपने परियोजना मूल्यांकन संबंधी कुशलताओं और अपनी जोखिम प्रबंध क्षमताओं को सुधार लिया तथा धीरे-धीरे दीर्घकालिक उधार देने के लिए अपनी प्रवृत्ति को विकसित किया। बैंकों द्वारा बनाये गये स्थिर खुदरा जमा आधार ने भी उनके आस्ति-देयाता प्रबंध कार्य में सहायता पहुँचाई। इसके अलावा, बांड बाजारों के विकास ने भी वाणिज्य बैंकों को बीमा और पेंशन निधियों से दीर्घकालिक निधियाँ जुटाने में समर्थ बनाया। अर्थव्यवस्था के इन संरचनात्मक परिवर्तनों का अर्थ यह हुआ कि विकास वित्त संस्थाओं ने दीर्घकालीन वित्त बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता खो दी तथा वे शोधक्षमता और चलनिधि के मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करने लगीं। अनर्जक आस्तियाँ बढ़ने लगीं जबकि लाभप्रदता घटने लगी। एक समकालीन घटना-क्रम में 1990 के बाद के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के अनुसरण में मुख्य रूप से कुशलता, जवाबदेही और नैतिक परिसंकट के परिप्रेक्ष्य से वित्तीय संस्थाओं में सरकार के स्वामित्व और संबद्धता को कम करने के लिए दबाव बढ़ रहा था। भारत में विकास वित्त संस्थाओं द्वारा अनुभव की गई कुछ समस्याओं के बारे में मैं अपने भाषण में कुछ बाद में चर्चा करूँगा। सारांश के तौर पर चूँकि विकास वित्त संस्थाएँ उन उद्देश्यों की पूर्ति एक कुशल और पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में अब नहीं रहीं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी, अतः उन्हें एक सर्वव्यापी बैंक के रूप में रूपांतरण के लिए एक विकल्प दिया गया।

आईडीबीआई की स्थापना

12. तीव्र गति से आर्थिक विकास का संवर्धन करने तथा औद्योगिक उत्पादन में स्व-निर्भर रहने की इच्छा ने स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक/बुनियादी संरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए अनेक विकास वित्त संस्थाओं की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आईएफसीआई पहली विकास वित्त संस्था थी जो 1948 में स्थापित की गई थी जिसके

बाद आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 मे की गई थी तथा उद्योग को दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अन्य राज्य वित्त निगम स्थापित किये गये थे। आईडीबीआई की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा रिज़र्व बैंक की एक सहायक संस्था के रूप में की गई थी। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ जो एक ऐसी संस्था के अंग के रूप में हैं जिसने एक शीर्ष विकास वित्त संस्था के रूप में 40 वर्ष से भी अधिक समय के लिए राष्ट्र के निर्माण में एक मुख्य भूमिका निभाई (1 जुलाई 1964 और 30 सितंबर 2004 के बीच)। इस तथ्य को लेकर आपको गर्व करना चाहिए कि एक विकास वित्त संस्था के रूप में पूर्व के आईडीबीआई ने मात्र परियोजना वित्तपोषण से आगे बढ़कर सेवाओं की एक श्रृंखला को समाविष्ट करने के लिए अपनी भूमिका का विस्तार कर लिया है जिसने उद्योगों के संतुलित भौगोलिक व्यापन, अभिनिर्धारित पिछड़े क्षेत्रों के विकास, उद्यम की नई भावना के आविर्भाव तथा एक गहन और स्पंदनशील पूँजी बाजार के विकास की दिशा में योगदान किया है। इस तथ्य के आलोक में एक संस्थागत निर्माता के रूप में भी आईडीबीआई की भूमिका सराहनीय है कि एक्जिम बैंक और सिडबी जो आज की दो स्फूर्त विकास वित्त संस्थाएँ हैं, आईडीबीआई से ही बनाये गये हैं।

भारतीय अनुभव

13. जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, अनेक अर्थव्यवस्थाओं में अपने विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद विकास वित्त संस्थाओं की या तो पुनर्संरचना की गई है या उनकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है अथवा वे परिदृश्य से अंतर्धान हो गई हैं। भारतीय अनुभव ने भी कमोबेश इसी मार्ग का अनुसरण किया है। यद्यपि भारत में विकास वित्त संस्थाओं को स्थापित करने के लिए प्राथमिक कारणों के रूप में बताये गये विकासात्मक उद्देश्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तथापि सरकार की राजकोषीय अनिवार्यताओं एवं बाजार गति-सिद्धांत ने इस बात के लिए विवश कर दिया है कि प्रणाली में विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका के संबंध में नीतियों और कार्यनीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। वाणिज्य बैंकों ने अब पूर्व की विकास वित्त संस्थाओं से विकास के एजेंटों का आवरण ग्रहण कर लिया है।

14. अब मैं भारत में विकास वित्त संस्थाओं द्वारा सामना की गई समस्याओं पर लौटता हूँ। भारतीय संदर्भ में विकास वित्त संस्था की संकल्पना कुछ अंतर्निहित संरचनात्मक दुर्बलताओं से पीड़ित रही। चूँकि विकास वित्त संस्थाओं की स्थापना सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के रूप में की गई थी, अतः बाजार ने उनके द्वारा किये गये उधार को अंतर्निहित सरकारी गारंटी से युक्त मान लिया था। इसने उधार लेते समय विकास वित्त संस्थाओं के व्यवहार में दुराचार की भावना को अभिप्रेरित किया। इसके अलावा, परियोजना उधार के लिए एक प्रतियोगी वातावरण के अभाव में संस्थाएं बिलकुल आत्मसंतुष्ट बन गईं तथा कीमत-निर्धारण करते समय उन्होंने वित्तपोषित परियोजनाओं की अर्थक्षमता की उपेक्षा की। विकास वित्त संस्थाओं के बीच शेयरों की परस्पर धारिता ने भी अनर्जक आस्तियों को बढ़ाने में एक संक्रामक प्रभाव के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पूँजी बाजारों के अपेक्षाकृत मंद विकास ने भी इन विषयों में कोई सहायता नहीं की क्योंकि अनेक संदर्भों में विकास वित्त संस्थाओं द्वारा प्रारंभिक वितरण किये जाने के बाद प्रवर्तक बाजार से ईक्विटी जुटाने में विफल रहे। विकास वित्त संस्थाओं ने प्रारंभ में रियायती शर्तों के अंतर्गत तथा सरकारी गारंटीकृत बांडों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक से राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि में से कम लागत वाली निधियाँ प्राप्त कीं। तथापि इन्हें बाद में वापस लिया गया जिससे उनके उधार की लागत में अचानक भारी वृद्धि हुई। 1990 के बाद के दशक के प्रारंभिक वर्षों में सुधार कार्यक्रम प्रारंभ करने के बाद विकास वित्त संस्थाओं को बैंकों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के साथ संघर्ष करना पड़ा जिनको भी परियोज़ना वित्तपोषण की अनुमति मिली थी। निधियों की उनकी लागत में भारी वृद्धि होने के बावजूद विकास वित्त संस्थाओं को अत्यंत प्रतियोगी दरों पर उधार देने के लिए विवश होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्प्रेड और लाभप्रदता में गिरावट हुई। इन सभी गतिविधियों का संचित प्रभाव यह रहा कि शताब्दी की समाप्ति पर विकास वित्त संस्थाओं के परिचालन अधिकाधिक अधारणीय बन गए तथा औद्योगिक और बुनियादी संरचना के प्रयोजनों हेतु दीर्घकालिक निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए एक माध्यम के रूप में अपनी अलग पहचान वे धीरे-धीरे खो बैठीं।

15. नरसिंहम समिति II की सिफारिशों तथा जनवरी 1999 में जारी किये गये ''विकास वित्त संस्थाओं और बैंकों की भूमिका और परिचालनों का सामंजस्यीकरण'' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के चर्चा पत्र के प्रकाशन के बाद रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2000 के अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में विकास वित्त संस्थाओं के लिए अपने विनियामक दृष्टिकोण की घोषणा की। यह निर्णय किया गया कि किसी भी विकास वित्त संस्था को, जो एक वाणिज्य बैंक के रूप में परिवर्तित होना चाहती हो, इस विकल्प की अनुमति

दी जाए बशर्ते कि बैंकों के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों का पूरी तरह से पालन किया जाए। इससे वाणिज्य बैंकों के रूप में विकास वित्त संस्थाओं के परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। भारत सरकार ने भी मध्य-वार्षिक समीक्षा, 2002 में स्पष्ट रूप से घोषित किया कि ''वित्तीय क्षेत्र के सुधार, संबद्ध ब्याज दर अविनियमन, बैंकों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा रियायती निधियों के अभाव ने विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) के व्यावसायिक मॉडलों को अधारणीय बना दिया है।'' विशिष्ट रूप से आईडीबीआई बैंक के लिए 1999 और 2003 के बीच सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का प्रतिशत कुल अग्रिमों के 14.07 प्रतिशत और 16.86 प्रतिशत के दायरे में रहा तथा निवल अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) निवल अग्रिमों के 11.64 प्रतिशत से 14.82 प्रतिशत के दायरे में रहीं।

16. इस पृष्ठभूमि में सरकार ने आईडीबीआई अधिनियम, को 2003 में निरस्त किया और आईडीबीआई लिमिटेड को बैंकिंग कार्यकलापों के समूचे विस्तार को प्रारंभ करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड) के रूप में परिवर्तित कर दिया। भारतीय वित्तीय क्षेत्र में उभरते हुए कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य को देखते हुए आईसीआईसीआई लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध-तंत्रों ने एक सर्वव्यापी बैंकिंग कार्यनीति का अनुसरण करने के लिए 2002 में अपने परिचालन पहले ही संविलयित कर दिये थे।

आईडीबीआई बैंक यहाँ से कहाँ जाता है?

17. विकास वित्त संस्थाओं के इतिहास तथा एक विकास वित्त संस्था से एक वाणिज्य बैंक के रूप में आईडीबीआई की प्रगति देखने के बाद अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बैंक अपने नये अवतार में किन-किन चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा देश की वित्तीय संस्थाओं में अपना मुख्य स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए संस्था की सहायता करने में यूनियन क्या योगदान कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डॉ. विमल जालान का कथन उद्धृत करना चाहता हूँ जिन्होंने सर्वव्यापी बैंकों के रूप में विकास वित्त संस्थाओं के रूपांतरण के पीछे निहित चिंतन प्रक्रिया को उपयुक्त रूप में ग्रहण किया है। डॉ. जालान ने कहा, ''सर्वव्यापी बैंकिंग की ओर जाने का प्रयास किसी विकास वित्त संस्था की स्थानीय कमजोरियों अथवा उसकी चलनिधि और शोधनक्षमता की समस्याओं और/या निम्न-पूँजीकरण के कारण उत्पन्न होनेवाली परिचालनगत कठिनाइयों, अनर्जक आस्तियों, तथा आस्ति-देयता असंतुलनों आदि के लिए कोई अचूक दवा उपलब्ध नहीं कराता। प्रमुख चिंतन बैंकों के लिए लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताएँ पूरी करने के संदर्भ में संबंधित वित्तीय संस्था के उद्देश्यों और कार्यनीतिगत हितों का होना चाहिए।''

18. इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आईडीबीआई ने अपने लिए कौन-सा उद्देश्य निर्धारित किया है और उसे प्राप्त करने के लिए उसने कैसे अपने आपको गतिशील बनाया है? आपको एक वाणिज्य बैंक बने हुए लगभग एक दशक हो चुका है। क्या आप अपने कार्यनिष्पादन से संतुष्ट हैं? बैंकों के रूप में विकास वित्त संस्थाओं के रूपांतरण के बाद विकासात्मक कार्यसूची का नेतृत्व करने का भार वाणिज्य बैंकों पर आ गया है। अपने पीछे विकासात्मक बैंकिंग में वर्षों का अनुभव रखते हुए आपकी संस्था इस एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है। समाज को आपसे जो आशाएँ हैं उनकी तुलना में अपनी उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पर स्मरण कराना चाहूँगा कि यूनियनों के रूप में इस सामाजिक एजेंडा को पूरा करने में अपनी संस्था की सहायता करने के लिए आपके ऊपर भारी दायित्व रखा हुआ है। मैं यह आप सभी पर छोड़ता हूँ कि आप वर्षों के अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से कर लें, मैं अपनी ओर से कुछ ऐसे मुख्य क्षेत्रों को ढूँढ़ निकालता हूँ जिनमें, मेरा विश्वास है, आईडीबीआई बैंक के लिए विपुल संभावनाएँ हैं जिनका यदि उचित रूप से उपयोग कर लिया जाए तो बैंक लाभान्वित होगा, आगे बढ़ते हुए जिस लाभ का कोई अंत नहीं होगा।

19. एक तत्काल लक्ष्य जिस पर आपको अवश्य अपना ध्यान केन्द्रित करना है, आपकी वित्तीय समावेशन संबंधी अपनी पहलों को बढ़ावा देना है। भारत के भीतरी भूभाग में विशाल अदोहित क्षेत्र हैं जहाँ बैंकिंग सेवाओं को अभी पहुँचना बाकी है। बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाओं के हमारे पहले दौर के कार्यान्वयन के बाद भी करीब साढ़े तीन लाख गाँव ऐसे बाकी हैं जहाँ बैंकों द्वारा सेवाएँ नहीं दी जा रही हैं। यह अपवर्जन केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी/महानगरीय केन्द्रों की चुनिंदा बस्तियों में भी यह स्थिति है। विश्व बैंक फिन्डेक्स सर्वेक्षण (2012) के अनुसार भारतीय वयस्कों का केवल 35 प्रतिशत ही औपचारिक बैंक खाते तक पहुँच रखता है तथा पिछले 12 महीने में औपचारिक रूप से 8

प्रतिशत ने ही औपचारिक रूप से उधार लिया है। याद रखें कि उधारकर्ताओं के इस खंड के लिए निधियों की वैकल्पिक लागत नितांत रूप से अत्यधिक है। इस पृष्ठभूमि के होते हुए यह बात समझ से बाहर है कि वाणिज्य बैंकों के पास क्यों नहीं संवृद्धि के लिए पर्याप्त अर्थक्षम व्यावसायिक प्रस्ताव हैं। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि यह ग्राहकों का सर्वाधिक 'क्रीमी लेयर' है जिसका दोहन करने की ताक में नये बैंक हैं और इसलिए यह आपके अपने ही हित में है कि आप इस विशाल ग्राहक आधार को कब्जे में लें, इससे पहले कि दूसरे यह कार्य कर लें। ऐसे बैंक के लिए जिसका उद्योग में एक निम्नतम एनआईएम है, मैं नहीं जानता कि आप इस एजेंडे का सक्रिय रूप से क्यों नहीं अनुसरण करते।

20. ऐसे परिदृश्य में जहाँ भारत सरकार प्रणाली में क्षरण को रोकने के लिए बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभों और सब्सिडियों के अंतरण को कार्यान्वित कर रही है, आपको यह अवश्य देखना होगा कि आप ग्राहकों के जितने अधिक खाते खुलवा सकें उतने खाते खुलवाने के लिए प्रयास करें। याद रखें, प्रारंभिक तौर पर ग्राहकों को जो भी प्राप्त करता है, वही लंबी अवधि में विजेता होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े हुए क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए भौतिक शाखा नेटवर्क और व्यावसायिक प्रतिनिधि के संयोजन का उपयोग बैंक कर सकता है। अतः जनसाधारण तक पहुँचने के लिए भौतिक शाखाओं की बड़ी संख्या के अभाव को भी अड़चन के रूप में नहीं माना जा सकता। आपको चाहिए कि आप उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंक-रहित क्षेत्रों में अधिकतम पैठ प्राप्त करने के लिए एक किफायती व्यावसायिक वितरण मॉडल का निर्माण करें तथा एक वहनीय मूल्य पर ग्राहकों को नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाएँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा करें। बैंक के कर्मचारी होने के नाते वित्तीय समावेशन पर फोकस लाने में आप सबके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

21. मैं यह भी देखता हूँ कि आईडीबीआई बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहा है तथा चिंताजनक रूप से इस मोर्चे पर उसके कार्यनिष्पादन में गिरावट आ रही है। यह स्थिति युनाइटेड वेस्टर्न बैंक जैसे प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान-केन्द्रित बैंक के विलयन के बावजूद है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) की प्रणाली मुख्य रूप से इसलिए लागू की गई है कि उन योग्य क्षेत्रों और लोगों को ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित की जा सके, जो अन्यथा पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसएल के अंतर्गत उत्पादों के कीमत-निर्धारण को मुक्त कर दिया है; इसलिए इस खंड को उधार देने में बैंकों के लिए कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। कृपया याद रखें कि जो बैंक पीएसएल के लक्ष्य पूरे नहीं करते उन्हें ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) में निधियों का अंशदान करना होगा, जिससे मिलनेवाला प्रतिलाभ आपकी निधियों की लागत से भी कम हो सकती है। बैंक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह औपचारिक ऋण सरणियों द्वारा लगाये जानेवाले उच्च ब्याज के संबंध में संभावित ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान प्रारंभ करें और उन्हें महाजनों से दूर रखें।

22. बैंकों में सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और मानक अग्रिमों की पुनःसंरचना की बढ़ती हुई प्रवृत्ति मैंने देखी है जो मूल्यांकन और जोखिम प्रबंध मानकों में कमियों को उजागर करती है। आवश्यक कौशल प्राप्त करने और ऋण जोखिम प्रबंध तंत्र की श्रेणी बढ़ाने में आपको शीर्ष प्रबंधन के साथ कार्य करना होगा तथा इस अशांत करनेवाली प्रवृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

कर्मचारी संघों की भूमिका

23. अब मैं एक संपूर्ण सेवा बैंक के रूप में अपनी भूमिका में आईडीबीआई बैंक अपनी सही संभाव्यता प्राप्त करे, यह सुनिश्चित करने में संघों के रूप में आपके दायित्व के बारे में विशिष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। आज विद्यमान नये परिचालन परिवेश को अवश्य आपको समझना होगा तथा इस बात से भी अवगत होना होगा कि आज के अत्यधिक प्रतियोगी बाजार में अब कारपोरेट आपका पीछा नहीं करेगा। आपके अधिकांश सदस्यों के लिए जिन्होंने उस युग में अनुभव प्राप्त किया है जब आईडीबीआई सीमित प्रतियोगिता के साथ एक विकास वित्त संस्था थी और व्यवहार करने के लिए उसके पास ग्राहकों की एक छोटी दुनिया थी, वाणिज्यिक बैंकिंग में परिवर्तन कठिन हो सकता है। पर याद रखिए, यदि आप इस नये अवतार में एक संस्था के साथ बने रहना चाहते हैं, तो आपको परिवर्तन की इच्छा करनी होगी। वास्तव में जो अपेक्षित है वह मानसिकता में परिवर्तन है और आप एक जिम्मेदार यूनियन के रूप में यह पर्यवेक्षण करना होगा कि कर्मचारियों में सुचारु रूप से संक्रमण की भावना आ जाए। खुदरा बैंकिंग एक ग्राहक केन्द्रित व्यवसाय है और इसलिए, ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के

लिए आपको उत्साह, सहानुभूति और हितेच्छा विकसित करने की आवश्यकता है। मेरी राय में, वर्षों से आईडीबीआई के पास बड़े कारपोरेट/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ बनाया गया जो संबंध है उसे और बढ़ाने का महान अवसर था तथा इन संगठनों के स्टाफ के वेतन खाते बैंक के लिए प्राप्त किये जा सकते थे। इससे आपको एक स्थिर और निम्न लागत वाली निधि के लिए पहुँच मिल जाती। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह घटित नहीं हुआ है।

24. कर्मचारी उत्पादकता और कार्यकुशलता विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अगाध रूप से निम्न स्तरों पर रहती है। मुझे पता नहीं, आपमें से कितने लोगों ने हाल ही में एफआईसीसीआई -आईबीए कार्यक्रम के अवसर पर दिया गया मेरा भाषण सुना होगा। मैंने शेष विश्व में उनके प्रतिरूपों की तुलना में भारतीय बैंकों और खास तौर से सरकारी क्षेत्र उद्यम (पीएसयू) बैंकों के उत्पादकता और कार्यकुशलता संबंधी मानदंडों पर विस्तृत आँकड़े प्रस्तुत किये हैं। यदि आप उन्हें गहराई से देखेंगे, तो पाएँगे कि हम विकसित विश्व के अपने प्रतिरूपों की तुलना में न केवल खराब ढंग से कार्य कर रहे हैं, बल्कि एशिया में और अन्यत्र स्थित विकासशील देशों और उभरते बाजारों के विरुद्ध भी कार्य कर रहे हैं। मैंने यह भी तर्क दिया है कि यद्यपि भारतीय बैंकों में उत्पादकता और कार्यकुशलता संबंधी लाभ प्राप्त किये गये हैं, तथापि वे आबंटनात्मक कार्यकुशलता के साथ समझौता करने की कीमत पर घटित हुए हैं। परिचालनात्मक कार्यकुशलता के लाभों से समग्र रूप में समाज को लाभ नहीं मिला है जिन्हें बैंकिंग क्षेत्र ने देखा है तथा सामान्य रूप से ग्राहकों के लिए लागत में कोई दृष्टिगोचर कमी नहीं है।मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे लिए शेष अनुग्रह यही है कि हम प्रतीयमान रूप से निम्नतम गिरावट पर हैं और हमारे कार्यनिष्पादन में सुधार यहीं से प्रारंभ हो सकता है। एक बैंकिंग समुदाय के रूप में हमें बदलना है और उस अपेक्षित सीमा तक बहुत शीघ्रतापूर्वक ताकि हम समाज के लिए प्रासंगिक रह सकें।

25. इस संदर्भ में यूनियनों की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है जो कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करती है। पल भर के लिए भी मेरा मतलब आईडीबीअई की उस भूमिका को कम आंकना नहीं है जो एक विकास वित्त संस्था के तौर पर उसने अपने प्रारंभिक रूप में अदा की है। अन्य विकास वित्त संस्थाओं के साथ प्रारंभिक योजना अवधियों के दौरान देश की आर्थिक समृद्धि में आईडीबीआई ने उल्लेखनीय रूप में योगदान किया है, परंतु एक उदारीकृत अर्थव्यवस्था में और एक सर्वव्यापी बैंकिंग के युग में विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं के रूप में विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका निश्चित रूप से घट गई है। यह यूनियनों पर निर्भर है कि वे इस प्रकार के सेमिनारों/परस्पर सक्रिय सत्रों के माध्यम से बदली हुई जमीनी सच्चाइयों के बारे में अपने सदस्यों को संवेदनशील बनाएँ। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मौजूदा कठिन वातावरण में प्रतियोगिता करने में समर्थ होने के लिए आपके लिए वर्तमान अपरिवर्तनीयताओं से अपना रुख बदलने और परिवर्तन के लिए इच्छुक होने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

26. समाहार के रूप में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास आवश्यक है और उसे सुसाध्य बनाने में वित्त की एक केन्द्रीय भूमिका है। विकास वित्त संस्था की आत्मा को एक विकासशील अर्थव्यवस्था में अक्षुण्ण रहना चाहिए। तथापि वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तनों ने परिचालन के क्षेत्रों के तौर पर विकास वित्त संस्थाओं और वाणिज्य बैंकों के बीच की सीमाओं को धुँधला कर दिया है। विकास वित्त संस्थाएँ बैंकों के मुकाबले कोई प्रतियोगात्मक लाभ धारण नहीं करतीं और इसलिए विकास वित्त का अनुसरण करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए विकास वित्त संस्थाओं के रूप में संस्थाओं को नाम नत्थी करने की अनिवार्यता अब नहीं रही है। मुझे लगता है कि वाणिज्य बैंक उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं जो मूल रूप से विकास वित्त संस्थाओं के लिए अभीष्ट थे।

27. आपकी संस्था ने एक विकास वित्त संस्था की आत्मा आईडीबीआई लिमिटेड से विरासत में पाई है। आवश्यकता इस बात की है कि रूपांतरण की इस अवधि से देखने के लिए कर्मचारियों की मानसिकता में रूपांतरण हो। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि विकास वित्त संस्था के रूप में आपकी संस्थाओं के लिए स्थिति में किसी उलटाव की अपेक्षा करने के बजाय आईडीबीआई बैंक के प्रबंध-तंत्र और यूनियनों को आगे भविष्य में देखना चाहिए। जिम्मेदार संघों के रूप में आपके लिए अपनी संस्था के कर्मचारियों को प्रेरित करने में एक बहुत निर्माणात्मक भूमिका मौजूद है। अतीत की ख्याति से संतुष्ट होने के बजाय आपको भविष्य का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए। पिछले 50 वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों का

उपयोग केवल उस मेहनत के लिए स्फूर्ति और प्रेरणा पाने के लिए किया जाना चाहिए जो अगले 50 वर्षों में आपको करनी होगी। कर्मचारियों के रूप में आप सभी को इष्टतम स्तर तक अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में समर्थ होने के लिए नवीनतम कौशल, प्रौद्योगिकी आदि से स्वयं को अद्यतन बनाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और यूनियनों को सामूहिक तौर पर प्रयास करना होगा कि संस्था ने जो प्रभावी महत्ता विरासत में पाई है उसे वाणिज्य बैंक के रूप में अपने नये अवतार में भी सँभाले रखा जाए। देश में वाणिज्यिक बैंकिंग के लिए काफी गुंजाइश है, यदि पूँजी, वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी कुछ कष्टसाध्य अपेक्षाओं के बावजूद नये बैंक लाइसेंस के लिए कोई अभिरुचि विद्यमान हो। बैंक के लिए आवश्यकता उपलब्ध अवसरों की तलाश करने और उसे प्राप्त करने के लिए आपकी सारी संगठित शक्ति लगाने की है। आईडीबीआई एक अच्छी तरह प्रसिद्धि-प्राप्त ब्रांड है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको अवश्य अपने ब्रांड का उन्नयन करना चाहिए तथा अपने ग्राहकों के आधार को विस्तृत करना चाहिए, इसके पहले कि नये बैंक उन्हें हथिया लें।

28. अधिक प्रतियोगी व्यावसायिक परिवेश, जो संभवतः बहुत शीघ्र ही खुलनेवाला है, में सफल होने के लिए आपको कुछ बातें विस्मृत करनी होंगी और कुछ नई बातें पुनःसीखनी होंगी। आपकी संस्था की प्रगति के लिए यह अनिवार्य है कि शीर्ष प्रबंधतंत्र और कर्मचारियों को सामूहिक तौर पर कार्य करना होगा। मुझे विश्वास है कि आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच का समर्थ नेतृत्व यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ को नई चुनौतियों को सँभालने के लिए प्रेरित किया जाएगा और यह संस्था अपनी वैभवपूर्ण परंपरा को हमेशा के लिए बनाये रख सकेगी।

29. मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने और मेरी बातों को प्रशांत चित्त होकर सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपके सभी भावी प्रयासों में सर्वोत्तम सफलता की प्राप्ति के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएँ।